कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

No. CAW/1-27/KAPL/2023-24/ 130-131 **Date: 31.08.2023**

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड,
अर्का-व्यापार केंद्र, प्लॉट न 37,
साइट न. 34/4, एन.टी.टी.एफ. मेन रोड,
पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण,
बैंगलोर-560058

विषय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(b) के अंतर्गत **कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड** के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत **कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड** के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर "Non Review Certificate" भेजा जा रहा है।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

र.स. शिरवाल
31.08.23

संलग्न: यथोपरि

निदेशक (CAW)

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
E-mail : dgace@cag.gov.in
Website : https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स् कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बेंगलूरु के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स् **कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड,** बेंगलूरु के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा इसके लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित मानकों के अनुसरण में अधिनियम की धारा 143 के अधीन स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा अपनी 18 जुलाई 2023 दिनांकित संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से,अधिनियम 143(6)(क) के अधीन मेसर्स् **कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड,** बेंगलूरु के दि.31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
तथा उनकी ओर से

(राजीव कुमार पांडे)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 31.08.2023